भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1733

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

निर्माण उपकर की स्थिति

1733. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने घर खरीदने वालों द्वारा भुगतान किए गए निर्माण उपकर के माध्यम से शहरी मजदूरों के कल्याण के लिए हजारों करोड़ रुपये जुटाए हैं, लेकिन उस राशि का केवल एक अंश ही दैनिक वेतनभोगियों के लाभ के लिए खर्च किया गया है;

(ख) क्या बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी ने दिसम्बर 2024 तक बीओसी श्रमिकों के कल्याण के लिए 1,17,507.22 करोड़ रुपये का उपकर एकत्र किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी ने उक्त एकत्रित उपकर में से 70,744 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शेष राशि को अब तक खर्च न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या पिछले 19 वर्षों में महाराष्ट्र में संचित भवन उपकर की कुल राशि 19,489.25 करोड़ रुपये है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 19966 [बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996] में उपकर लगाने तथा ऐसी दर पर उपकर संग्रहण करने करने का प्रावधान है जो किसी नियोक्ता द्वारा वहन की गई निर्माण लागत के दो प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी परंतु एक प्रतिशत से कम नहीं होगी, जैसा कि केन्द्र सरकार अधिसूचित करे। वर्तमान में उपकर निर्माण लागत के 1% की दर पर लगाया जाता है।

उपकर संबंधित राज्य की बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों द्वारा एकत्रित एवं उपयोग किया जाता है। इससे संबंधित अद्यतन आंकड़े भी संबंधित बोर्डों द्वारा रखे जाते हैं।

राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्राशसनों द्वारा उपकर का संग्रहण किया जाता है और इसका उपयोग राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के कल्याण के लिए किया जाता है। इन बोर्डों को इस उपकर निधि से व्यय करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

*****